अनुदान संख्या 33 – अप्रत्यक्ष कर
GRANT No. 33 - INDIRECT TAXES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*50,00*	*2,21*	*-47,79*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-		7493,15,00	7259,78,78	-233,36,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				31,31,50
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	406,85,00	406,87,00	275,44,59	-131,42,41
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				79,47,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹30.00 लाख* का *विनियोग* दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतयः अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹30.00 lakhs* remained wholly unutilised under two heads.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2037” सीमा शुल्क	Major Head “2037” Customs					
मू.	O.	210270.00				
				216174.81	209570.84	-6603.97
पु.	R.	5904.81				
मुख्य शीर्ष “2042” केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर और एकीकृत वस्तु तथा सेवाकर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	Major Head “2042” Collection Charges under Central Goods and Services Tax & Integrated Goods and Services Tax					
मू.	O.	537245.00				
				528022.69	515201.25	-12821.44
पु.	R.	-9222.31				
मुख्य शीर्ष “2216” आवास	Major Head “2216” Housing					
मू.	O.	1800.00				
				1986.00	1206.69	-779.31
पु.	R.	186.00				

(I) मुख्य शीर्ष “2037” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) “राजस्व – सह – आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य – समुद्री सीमा शुल्क – मुख्य बंदरगाह” – ₹2642.83 लाख की बचत (₹73260.86 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, पुरस्कार मामलों की स्वीकृत न होने तथा किराया करारनामों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) निवारात्मक तथा अन्य कार्याकलाप” –

(I) Under Major Head “2037” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Revenue-cum-Import/Export Trade Control Functions - Sea Customs- Major Ports” - saving of ₹2642.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹73260.86 lakhs) was due to non- filling up of vacant posts, non-clearance of reward cases and non-finalisation of rent agreements.

(B) “Preventive and Other Functions” -

(क) “संभारिकी निदेशालय” – ₹534.29 लाख की बचत (₹5476.85 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) “राजस्व आसूचना निदेशालय” – ₹4955.15 लाख की बचत (₹18265.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, किराया संशोधन मामलों का समाधान न होने, पुरस्कार के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने, नए कार्यालय परिसर को किराए पर लिए जाने को अंतिम रूप न दिए जाने, मरम्मत कार्य पूरा होने और आईटी उपकरणों की कम खरीद किए जाने तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष “2042” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) “निदेशन और प्रशासन” –

(क) “कार्य–निष्पादन प्रबंधन” – ₹855.73 लाख की बचत (₹11766.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने, चिकित्सा दावों और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ख) “राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर स्वापक अकादमी” – ₹2908.77 लाख की बचत (₹11521.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों का न भरे जाने, किराया संशोधन मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने, कम दौरे किए जाने, आईआरएस प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा कार्यशालाओं के कम बैचों का आयोजन होने तथा स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(a) “Directorate of Logistics” - saving of ₹534.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5476.85 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(b) “Directorate of Revenue Intelligence” - saving of ₹4955.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18265.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non - settlement of rent revision cases, receipt of less proposals for rewards, non-finalisation of hiring of new office premises, non-completion of repairing works and requirement of less funds towards purchase of IT equipment and other establishment related expenses.

(II) Under Major Head “2042” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Direction and Administration” -

(a) “Performance Management” - saving of ₹855.73 lakhs against the sanctioned provision of ₹11766.70 lakhs was due to less tours undertaken, requirement of less funds towards medical claims and other establishment related expenses.

(b) “National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics (NACIN)” - saving of ₹2908.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11521.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of rent revision cases, less tours undertaken, conduction of short batch of IRS training programmes and workshops and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(ग) "सतर्कता" – ₹1161.61 लाख की बचत (₹4481.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने तथा किराया संशोधन मामलों का समाधान न होने के कारण हुई।

(घ) "करदाता सेवा महानिदेशालय" – ₹13887.52 लाख की बचत (₹16136.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने तथा कम प्रचार तथा कार्यक्रमों की मंजूरी के कारण विज्ञापन के लिए कम निधियों की आवश्यकता की वजह से हुई।

(ङ) "वस्तु तथा सेवाकर आसूचना महानिदेशालय" – ₹4627.32 लाख की बचत (₹17610.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम पुरस्कार प्रस्ताव मंजूर किए जाने, नए कार्यालय परिसरों को किराए पर लेने में देरी होने तथा चिकित्सा दावों और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(च) "सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग" – ₹602.47 लाख की बचत (₹1851.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और कार्यालय परिसरों को किराए पर लिए जाने के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(छ) "सिस्टम तथा डेटा प्रबंधन" – ₹6112.52 लाख की बचत (₹74762.80 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, किराया संशोधन मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा आईटी संबंधी सामानों की खरीद तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) "संग्रहण प्रभार" – "प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीआईसी के वेतन एवं लेखा कार्यालय (केन्द्रीय वस्तु एवं

(c) "Vigilance" - saving of ₹1161.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4481.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-settlement of rent revision cases.

(d) "Directorate General of Tax Payer Services" - saving of ₹13887.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16136.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards advertising owing to sanctioning of less campaigns and programmes.

(e) "Directorate General of Goods and Service Tax Intelligence" - saving of ₹4627.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17610.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, sanction of less reward proposals, delay in hiring of new office premises and requirement of less funds towards medical claims and other establishment related expenses.

(f) "Customs and Central Excise Settlement Commission" - saving of ₹602.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1851.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards hiring of office premises.

(g) "Systems and Data Management" - saving of ₹6112.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹74762.80 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of rent revision cases and requirement of less funds towards purchase of IT related articles and other establishment related expenses.

(B) "Collection Charges" - "Pay & Accounts Offices (Central Goods & Service Tax) of Principal

सेवा कर)" – ₹1655.30 लाख की बचत (₹7938.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने तथा सूचना प्रौद्योगिकी मदों की अधिप्राप्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

Chief Controller of Accounts, CBIC" - saving of ₹1655.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7938.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards procurement of information Technology items.

(गा) "अन्य व्यय – अन्य मदें" – ₹661.03 लाख की बचत (₹2510.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)" नैमित्तिक मजदूरों को अस्थाई दर्जा दिए जाने को अंतिम रूप न दिए जाने तथा स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(C) "Other Expenditure - Other items" - saving of ₹661.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2510.00 lakhs) was due to non-finalisation of temporary status to casual labours and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(III) मुख्य शीर्ष "2216" – "अन्य आवास – अनुरक्षण तथा मरम्मत – अन्य अनुरक्षण व्यय" के अंतर्गत – ₹593.31 लाख की बचत (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवासीय भवनों के अनुरक्षण के लिए कम निधियों की आवश्यकता की वजह से हुई।

(III) Under Major Head "2216" - "Other Housing - Maintenance and Repair - Other Maintenance Expenditure" - saving of ₹593.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards maintenance of residential buildings.

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें ₹659.61 लाख की बचतें हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत तथा 44 प्रतिशत थीं।

(IV) Under two heads savings of ₹659.61 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 19 percent and 44 percent of the sanctioned provision.

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :–

3. The above savings were offset by excess under the following heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2037" – "निवारक तथा अन्य कार्य – समुद्री सीमा शुल्क – मुख्य बंदरगाह" के अंतर्गत – ₹8039.71 लाख का अधिक व्यय (₹106877.09 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, अतिरिक्त ऑपरेशन वाहनों को किराए पर लिए जाने तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(A) Under Major Head "2037" - "Preventive and Other Functions - Sea Customs - Major Ports" - excess of ₹8039.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹106877.09 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries, hiring of additional operational vehicles and other establishment related expenses.

(खा) मुख्य शीर्ष "2042" – "संग्रहण प्रहार – आयुक्तालय" के अंतर्गत – ₹10838.83 लाख का अधिक व्यय (₹387688.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(B) Under Major Head "2042" - "Collection Charges - Commissionerates" - excess of ₹10838.83 lakhs (against sanctioned provision of ₹387688.60 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries and other establishment related expenses.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें, अधिक निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं / हुआ :—

4. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4047" अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	10500.00	1100.00	319.49	-780.51
पु.	R.	-9400.00			
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	18424.00	18838.00	16502.79	-2335.21
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	413.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	11761.00	12802.00	10722.31	-2079.69
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	1040.00			

(I) ₹500.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा :—

(I) Provision of ₹500.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "4047" — "सीमा शुल्क — निवारक तथा अन्य कार्य" के अंतर्गत ₹10180.51 लाख की बचत (₹10500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पोतों तथा बेड़ों का कम अधिग्रहण किए जाने, एंटी स्मगलिंग यूनिटों के अर्जन के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने और कोविड फैलने के कारण परियोजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4047" - "Customs - Preventive & Other Functions" - saving of ₹10180.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10500.00 lakhs) was due to less acquisition of ships and fleets, non-receipts of proposals for Acquisition of Anti-Smuggling Units and non-finalisation of project owing to spread of COVID.

(III) मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन – कार्यालय निर्माण – सीमा शुल्क एवं सीजीएसटी आयुक्तालय के लिए कार्यालय भवन का निर्माण" के अंतर्गत – ₹4989.00 लाख की बचत (₹10821.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए विविध परियोजनाओं को पूरा न किए जाने तथा कार्यालय भवनों के निर्माण के विविध प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – सीमा शुल्क तथा जीएसटी कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन – सीमा शुल्क तथा सीजीएसटी आयुक्तालय के लिए आवासीय भवनों का निर्माण" के अंतर्गत – ₹1039.69 लाख की बचत (नवंबर, 2019 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹11762.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बने बनाए रिहायशी आवासों की खरीद/रिहायशी आवास के निर्माण तथा निर्माण कार्य परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

5. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹3715.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन – भूमि का अधिग्रहण – सीमा शुल्क तथा सीजीएसटी के लिए कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण आयुक्तालय" के अंतर्गत नवंबर, 2019 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹3566.79 लाख था।

(III) Under Major Head "4059" - "Office Buildings - Construction of office - Construction of office building for Customs & CGST Commissionerate" - saving of ₹4989.00 lakhs (against sanctioned provision of ₹10821.00 lakhs) was due to non-completion of various projects for construction of office buildings and non-finalisation of various proposals for construction of office buildings.

(IV) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Residential Buildings for Customs and GST Employees - Construction of Residential Buildings for Customs & CGST Commissionerate" - saving of ₹1039.69 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹11762.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in November, 2019) was due to non-finalisation of various proposals for purchase of ready-built residential/construction of residential accommodation and non-finalisation of works projects.

5. The above savings were partly (₹3715.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in November 2019 under Major Head "4059" - "Office Buildings - Acquisition of Land - Acquisition of land for construction of office building for Customs & CGST Commissionerate". Actual excess, however, was ₹3566.79 lakhs.